

सिविल विविध

समक्ष डी. एस. तेवतिया न्यायमूर्ति

कुशी राम रघुनाथ राय - याचिकाकर्ता

बनाम

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश - उत्तरदाता।

1973 की सिविल रिट संख्या 4245।

17 मई, 1975।

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम (1952 का 19) - धारा 1 (3) (ए) और (बी), 4, 7-ए, 16 (2) और 17 - अधिनियम द्वारा कवर किए जाने वाले कई व्यापार और प्रतिष्ठान - एकल अधिसूचना - क्या जारी की जा सकती है - धारा 1 (3) (बी) - क्या अत्यधिक प्रत्यायोजन के कारण होती है - धारा 4 के तहत अधिसूचना संसद के समक्ष रखी जानी आवश्यक है लेकिन यह अनुच्छेद 1 (3) (बी) के तहत नहीं है। (ख) क्या यह अधिनियम किसी विशेष प्रतिष्ठान के लिए है - भविष्य निधि आयुक्त द्वारा उसका निर्धारण - क्या वह अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश होने के बराबर है - धारा 16 (2) प्रतिष्ठानों के एक वर्ग को छूट प्रदान करना - चाहे वह भेदभावपूर्ण हो।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 की धारा 1 (3) (ए) और (बी) के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि केंद्र सरकार को एक अधिसूचना जारी करके धारा 1 (3) (बी) में परिकल्पित कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को अधिनियम के दायरे में लाने की शक्ति दी गई है। यदि विचाराधीन प्राधिकारी को लगता है कि एक से अधिक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के एक से अधिक वर्ग अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आने के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं, तो वह निश्चित रूप से एक अधिसूचना जारी करके उन्हें कवर कर सकता है - ऐसे प्रतिष्ठानों के एकवचन शब्द 'स्थापना' या 'वर्ग' के उपयोग में इन शब्दों के बहुवचन भी शामिल हैं। इसलिए एक ही अधिसूचना जारी करके अधिनियम द्वारा कई टुकड़ों और प्रतिष्ठानों को कवर किया जा सकता है और विभिन्न प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के वर्ग के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी करना आवश्यक नहीं है।

(पैरा 5)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम के पारित होने के उद्देश्य और कारण और इसके विभिन्न प्रावधान, विशेष रूप से धारा 16 और 17 के प्रावधानों में प्राधिकरण के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन है, जिसे अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के तहत

अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। यह केवल तभी होता है जब कोई प्रतिष्ठान एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों को नियोजित कर रहा होता है कि प्राधिकरण उस प्रतिष्ठान या ऐसे प्रतिष्ठानों के एक वर्ग या वर्गों को अधिनियम के दायरे में ला सकता है, इसके पीछे नीति यह है कि एक संस्था या एक प्रतिष्ठान जो अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों को नियोजित करने की स्थिति में है, वित्तीय रूप से अपने कर्मचारियों को उस तरह का लाभ देने की स्थिति में है जैसा कि परिकल्पना की गई है। अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाई गई योजना में। इस प्रकार विधायिका ने अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के तहत शक्ति को लागू करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश या मानदंड निर्धारित किए हैं, इसलिए, विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यायोजन के विकार से ग्रस्त नहीं है।

(पैरा 7)

अभिनिर्धारित है कि अधिनियम की धारा 4 के अवलोकन से पता चलता है कि चूंकि, किस उद्योग के बारे में अधिनियम द्वारा कवर किए जाने की आवश्यकता थी या नहीं थी और उसके तहत बनाई गई योजना मूल रूप से संसद द्वारा तय की गई थी, और ऐसे उद्योग जिन्हें संसद ने उस समय इस तरह से कवर किया जाना उचित समझा था, अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल किए गए थे, इसलिए जब उस अनुसूची को उद्योगों की अतिरिक्त इकाइयों को शामिल करके बढ़ाया जाना था, तो उसे संसद के ध्यान में लाया जाना चाहिए। लेकिन किसी ऐसे प्रतिष्ठान के मामले में जो अनुसूची 1 में शामिल उद्योग की सेवा करने वाला कारक है या किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों का वर्ग जो कारखाना नहीं है, लेकिन अनुसूची 1 में शामिल उद्योग या उद्योगों की सेवा कर रहा है, विधानमंडल ने यह निर्णय करने के लिए इसे केंद्र सरकार के निर्णय पर छोड़ दिया कि क्या उन्हें अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर किया जाना है या नहीं और उनके कवरेज को विधानमंडल द्वारा इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया था कि इसके बारे में सूचित किया जाए कि यह कब और कब किया गया था। इसलिए इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उसके तहत जारी अधिसूचना को संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए, इसलिए धारा 1 (3) (बी) के तहत जारी अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है।

(पैरा 8 और 9)

अभिनिर्धारित किया गया कि भविष्य निधि आयुक्त अधिनियम द्वारा परिकल्पित एक प्राधिकरण है जो वस्तुनिष्ठ रूप से यह निर्णय लेता है कि दिए गए तथ्यों पर किसी विशेष प्रतिष्ठान या संस्था को अधिनियम और उसके तहत योजना के दायरे में लाया जाना है या नहीं। वह स्वयं उस मुद्दे का पक्षकार नहीं है जिस पर कानून उसे निर्णय लेने के लिए कहता है और इस तरह के मुद्दे का निर्णय करते समय, वह स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करता है। यह कहने का कि कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, इसका अर्थ है कि न्यायाधीश का उस मामले में व्यक्तिगत हित जैसा कुछ नहीं होना चाहिए जिस पर उसे निर्णय लेना है और यह नहीं कि अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करने वाले अधिकारी को स्वयं किसी ऐसे मामले में कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए जिस पर कानून के तहत वह निर्णय लेने के लिए सक्षम है। इस प्रकार धारा 7-ए के तहत किसी विशेष प्रतिष्ठान पर अधिनियम की प्रयोज्यता के प्रश्न का निर्धारण करते समय, भविष्य निधि आयुक्त अपने स्वयं के कारण में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करता है।

(पैरा 10 और 11)

अभिनिर्धारित किया गया कि यह कहना न्यायालय का काम नहीं है कि कानून क्या होना चाहिए क्योंकि उसे अपनी स्थिति के अनुसार इसकी व्याख्या करनी होगी। न्यायालय किसी कानून को केवल अन्यायपूर्ण और दमनकारी प्रावधानों के आधार पर या नागरिकों के प्राकृतिक, सामाजिक या राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक और अमान्य घोषित नहीं कर सकते हैं, जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता है कि ऐसा न्याय निषिद्ध है या ऐसे अधिकारों की संविधान द्वारा गारंटी या संरक्षण दिया गया है। इसलिए अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के प्रावधान जो प्रतिष्ठानों के एक वर्ग को छूट प्रदान करते हैं, उन्हें इस आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि वे किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान के साथ भेदभाव करते हैं।

(पैरा 15)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन याचिका में अनुरोध किया गया है कि अनुलग्नक 'ग' और 'घ' में अंतर्विष्ट दिनांक 14 अगस्त, 1973 और 20 अक्टूबर, 1973 के आक्षेपित आदेशों को निरस्त करते हुए और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की विभिन्न धाराओं को अमान्य, अधिकारातीत और असंवैधानिक घोषित करते हुए एक समुचित रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए और केंद्र सरकार को भविष्य निधि प्राधिकरणों और संस्थाओं और प्रतिष्ठानों के बीच मामलों का निर्णय करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण या प्राधिकरण की नियुक्ति की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाए और आगे यह प्रार्थना की जाए कि 5,000 रुपये जो प्रत्यर्थी नं. 2, याचिकाकर्ता से जमा किए गए को वापस करने का आदेश दिया जाए और यह भी प्रार्थना की जाए कि रिट याचिका के लंबित होने के दौरान, उत्तरदाताओं नं 1 और 2 के आदेशों का कार्यान्वयन पर रोक लगाई जाए और प्रत्यर्थी नं. 2 को दबाव में उसके द्वारा प्राप्त 5,000 रुपये की राशि को वापस करने का निर्देश दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से एस. के. अग्रवाल, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से दीवान चेतन दास, अधिवक्ता।

फैसला

तेवतिया न्यायमूर्ति —

(1) मेसर्स खुशी राम-रघुनाथ राय, किराना मर्चेट्स, फेंटन गंज, जलंदर सिटी (जिसे इसके बाद याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है) एक साझेदारी संस्था है। यह कथित किया गया है कि इसके भागीदारों के पास तीन अलग-अलग व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठान हैं-एक नया गंज, कानपुर में, दूसरा रमन मार्केट, जलंदर छावनी में और तीसरा मंडी फेंटन गंज, जलंदर शहर में।

जालंधर शहर की स्थापना किराना सामान में सौदा करती है, जालंधर छावनी लीवर ब्रदर्स की एजेंसी का संचालन करती है; और कानपुर में स्थापना एक कमीशन एजेंट की दुकान है। आगे यह कथित किया गया है कि तीनों प्रतिष्ठानों के खातों में अलग-अलग बिक्री कर पंजीकरण हैं और उनके खाते अलग-अलग बनाए और तैयार किए जाते हैं और यह कि जालंधर में प्रतिष्ठान कानपुर में प्रतिष्ठान पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है; कि वर्ष 1962-63 में जालंधर शहर और छावनी में याचिकाकर्ता के दो प्रतिष्ठानों ने 11 व्यक्तियों को रोजगार दिया, जबकि कानपुर में केवल 7 और यह 1960 से वर्तमान याचिका दायर करने तक प्रत्येक प्रतिष्ठान की नियमित और सामान्य आवश्यकता थी। हालांकि, जुलाई-अगस्त, 1962 के दौरान काम की भीड़ से निपटने के लिए 2 आकस्मिक श्रमिकों, दास मल और यश पाल के रोजगार के परिणामस्वरूप संयुक्त संख्या बढ़कर 20 हो गई। (इस याचिका का अनुलग्नक 'क' कर्मचारियों को किए गए भुगतान को दर्शाने वाले खाते की एक प्रति है) कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा उसमें निवेश की गई शक्तियों के आधार पर अधिसूचना संख्या जीएसआर-346 जारी की, जो 30 अप्रैल, 1962 को लागू हुई, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के प्रावधानों को लागू किया गया, जिसे बाद में संशोधित किया गया और कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) के रूप में नामित किया गया था। 1, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, और हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, व्यापक। इसका दिनांक 22 फरवरी, 1968 का आदेश। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने सिविल रिट याचिका नं. 1968 का 1558, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता प्रतिष्ठान को यह साबित करने के लिए कोई सुनवाई या अवसर नहीं दिया गया था कि प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत आने के लिए उत्तरदायी नहीं था; कि उक्त याचिका प्रत्यर्थी की ओर से दी गई एक समझ पर वापस ले ली गई थी कि याचिकाकर्ता को अधिनियम के तहत कवरेज के लिए अपने दायित्व को चुनौती देने का उचित अवसर दिया जाएगा और यह कि मामले को उचित जांच के बाद नए सिरे से तय किया जाएगा; और यह कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को लिखित रूप में अभ्यावेदन दिया, जिसकी प्रति याचिका के लिए अनुलग्नक 'बी' है, जिसमें एक निश्चित रुख लिया गया था कि भले ही विभिन्न प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की संख्या अगस्त, 1962 में बढ़कर 20 हो गई हो, जो प्रतिष्ठान को अधिनियम के दायरे में नहीं लाएगी, क्योंकि यह प्रतिष्ठान की नियमित और सामान्य आवश्यकता नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दो व्यक्तियों का रोजगार काम की भीड़ के परिणामस्वरूप था और वे नियमित कर्मचारी नहीं थे; कि याचिकाकर्ता की पूर्वोक्त स्थिति और दावा अप्रमाणित रहा; प्रतिवादी संख्या 1 ने 14 अगस्त, 1973 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन और दावे को खारिज कर दिया, भविष्य निधि निरीक्षक, गुंटूर बनाम टीएस हरिहरन में रिपोर्ट किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव पर विचार किए बिना और एक विशिष्ट निष्कर्ष दिए बिना कि जुलाई और अगस्त की छोटी अवधि के दौरान 20 व्यक्तियों का रोजगार काम की असामान्य भीड़ के कारण नहीं था। वास्तव में वे अपने सामान्य व्यवसाय में कार्यरत थे; प्रतिवादी संख्या 2 ने 20 अक्टूबर, 1973 के अपने पत्र के माध्यम से, याचिका के अनुलग्नक 'डी' की प्रति के माध्यम से याचिकाकर्ता को सात दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि में सभी योगदान जमा करने का निर्देश दिया; याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 5

नवंबर, 1973 को भेजा गया था, को हिरासत में लिया गया था और अधिनियम की धारा 7-ए के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित किए बिना आपराधिक अभियोजन के दर्द पर 5,000 रुपये की राशि जमा करने पर जोर दिया गया था; याचिकाकर्ता को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 5,000 रुपये जमा करने थे।

5

(2) अन्ततः यह कहा जाता है कि इसके परिणामस्वरूप अधिसूचना की शर्तों के साथ-साथ अधिनियम के कुछ प्रावधानों और प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेशों, अनुलग्नकों 'सी' और 'डी' को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका को इस आधार पर भरा गया कि अधिनियम के प्रोविजन की आड़ में कई ट्रेडों और प्रतिष्ठानों को लाने वाली एकल अधिसूचना जारी करने की परिकल्पना प्रावधानों द्वारा नहीं की गई थी। (ख) अधिनियम की धारा 1(3)(ख) के अनुसार, जिसमें कवर किए जाने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए एक अलग अधिसूचना जारी करने का प्रावधान था, और इस प्रकार केंद्र सरकार ने उपर्युक्त अधिसूचना जारी करने में अपनी शक्ति का उल्लंघन किया। अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) का खंड (बी) केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है और इस प्रकार विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यायोजन से ग्रस्त है; अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं क्योंकि जबकि किसी उद्योग को कवर करने वाले अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना है, अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के तहत जारी अधिसूचना को इस तरह रखने की परिकल्पना नहीं की जा रही है। कि अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के तहत अधिसूचना जारी करके प्रतिष्ठान को किस आधार और विचार के आधार पर अधिनियम के तहत लाया जाएगा, इसके बारे में कोई मानदंड या मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है; यह कि अधिनियम की धारा 14 (1 ए) और 14 एए के दृष्टिकोण को कठोर, कठोर और अनुचित होने के कारण निरस्त किया जा सकता है और इसी कारण से, अधिनियम की धारा 14 (सी) के प्रावधानों को रद्द किया जा सकता है। कि अधिनियम की धारा 16 (2) के प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं, क्योंकि यह केवल प्रतिष्ठान के एक वर्ग को छूट देता है; और किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान की छूट की परिकल्पना नहीं करता है; कि प्रतिवादी नंबर 1 खुद एक पक्ष होने के नाते अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश बन गया है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 7 ए के प्रावधानों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन शामिल है; यह कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश अधिनियम की धारा 7-ए के तहत परिकल्पित किसी भी जांच के बिना पारित किया गया था और इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से अवैध और अमान्य था; यह कि अनुलग्नक 'सी' और 'डी' आदेश अवैध हैं क्योंकि वे बिना किसी सबूत के आधारित हैं; यह कि लागू किए गए आदेश अवैध हैं और अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, भले ही यह माना जाता है कि तीन प्रतिष्ठान एक थे और अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता की देयता का न्याय करने के लिए उनमें नियोजित श्रमिकों की संयुक्त संख्या को ध्यान में रखा जा सकता है, क्योंकि अनुबंध 'ए' में निहित श्रमिकों की सूची में से, चार व्यक्ति, अर्थात् रोशन लाई, फकीर चंद, राधे शाम और बाल कृष्ण याचिकाकर्ता-चिंता के भागीदार थे और इस प्रकार उन्हें श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता था, न ही बसंत माई को एक कार्यकर्ता के रूप में माना जा सकता था, क्योंकि उन्हें केवल अदालत के काम को करने के लिए नियोजित किया गया था, जिसके लिए उन्हें प्रति वर्ष 180 रुपये का

भुगतान किया गया था; और यह कि लागू किए गए आदेश अवैध थे और इस कारण से अधिकार क्षेत्र से परे थे कि उन्हें निरीक्षक, भविष्य निधि की रिपोर्ट पर पारित किया गया था, जिन्होंने इसे केवल इस धारणा पर बनाया था कि अधिनियम लागू हो जाएगा यदि किसी भी कारण से आकस्मिक कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की संख्या एक महीने में 20 तक पहुंच जाएगी।

6

(3) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के भविष्य निधि आयुक्त श्री बीआर आनंद द्वारा दायर लिखित बयान में, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक साझेदारी फर्म है जिसमें खुशी राम, बाबू राम, रघु नाथ और बनारसी दास - सभी भाई - समान शेयरों में भागीदार हैं। हालांकि, इस बात से इनकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता-फर्म के साझेदार तीन अलग-अलग और अलग-अलग प्रतिष्ठानों के मालिक हैं। यह कहा गया है कि यह एक प्रतिष्ठान है जिसकी अलग-अलग शाखाएं हैं - एक जालंधर छावनी में और दूसरी कानपुर में। कि जालंधर शहर में प्रतिष्ठान और दो शाखाओं में चल रहा व्यवसाय समान है यानी किरयाना और कमीशन एजेंट; वह कानपुर शाखा अपने लाभ और हानि खाते को प्रधान कार्यालय को भेजती है जो केंद्रीय रूप से लाभ और हानि खातों का रखरखाव करता है; कानपुर प्रतिष्ठान और रमन मंडी शाखा और जालंधर शहर में प्रधान कार्यालय का आयकर मूल्यांकन जालंधर में किया जाता है और आयकर का भुगतान प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है और जालंधर शहर में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में दिखाया जाता है; याचिकाकर्ता के लेटर-हेड अनुलग्नक आर-1 से यह स्थापित होता है कि यह एक प्रतिष्ठान था जिसमें दो चोकर थे, और उपरोक्त तथ्य भी दस्तावेज, अनुलग्नक आर -2 में स्वीकार किया गया है; कि उनके सामने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि तीन प्रतिष्ठानों के पास अलग-अलग बिक्री-कर पंजीकरण थे; अनुलग्नक आर-2, जो वर्ष 1962-63 से संबंधित विवरण की एक प्रति है, से पता चलता है कि कानपुर स्थित इसकी शाखा के पे-रोल पर सात कर्मचारियों के अलावा, इसकी अन्य शाखाओं में जुलाई के महीने में 13 कर्मचारी थे और अगस्त के महीने में और सितंबर 1962 के महीने में 14 कर्मचारी थे। कि अनुबंध 'ए' की सामग्री अनुबंध आर -2 से भिन्न है, इसे अस्वीकार कर दिया जाता है; और यह कि अनुलग्नक आर -3 और आर -4 स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की ताकत को स्थापित करते हैं - ये दस्तावेज फरवरी, 1968 में अस्तित्व में आए और याचिकाकर्ता के भागीदारों में से एक खुशी राम द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे; इन दस्तावेजों के अनुसार, 31 अगस्त, 1962 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या 21 थी। यह तब था जब बसंत माई का नाम बाहर रखा गया था क्योंकि उनका नाम अनुबंध आर -3 पर नहीं दिया गया था। अनुबंध आर-3 अपने कर्मचारियों की संख्या के संबंध में याचिकाकर्ता के आदेश का प्रतिनिधित्व करता है, और यह दावा नहीं किया गया था कि इसमें उल्लिखित कोई भी कर्मचारी एक आकस्मिक कर्मचारी था, न ही 14 अगस्त, 1972 के अभ्यावेदन, अनुबंध 'बी' में यह दावा किया गया था कि दास माई एक आकस्मिक श्रमिक थे क्योंकि उन्होंने सितंबर के महीने में रोजगार छोड़ दिया था। 1962; रोशन लाई, फकीर चंद, राधे शाम और बाल कृष्ण संबंधित समय पर याचिकाकर्ता के साझेदार नहीं थे, क्योंकि वे 1 अप्रैल, 1966 से पहली बार भागीदार बने थे, जैसा कि 12 फरवरी 1968 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। किसी भी स्तर पर यह दावा नहीं किया गया था कि राम दयाल कहार, जिनका नाम क्रम संख्या 6 में अनुलग्नक 'ए-एल' में दिखाई देता है, एक घरेलू नौकर थे - वास्तव में उनका

नाम याचिकाकर्ता की लेखा पुस्तकों में दिखाया गया है। याचिका के पैरा 8 में आरोपों से इनकार किया गया था और यह दलील दी गई थी कि एक महीने से अधिक समय से याचिकाकर्ता की स्थापना में कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक थी और वे प्रतिष्ठान के नियमित व्यवसाय के संबंध में लगे हुए थे। यह कि आक्षेपित आदेश प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष रखी गई सामग्री के अनुरूप पारित किया गया था और निष्कर्ष वास्तव में उनके सामने उठाए गए बिंदुओं पर दिए गए थे; याचिकाकर्ता को 21 नवंबर, 1973 के अनुबंध आर-6 के तहत कानून के अनुसार सभी रिटर्न जमा करने के लिए बुलाए जाने के बावजूद, इसे प्रस्तुत नहीं किया गया और इस प्रकार प्रतिवादी के लिए योगदान की वास्तविक राशि निर्धारित करना असंभव बना दिया; किसी भी मामले में चूंकि रिकॉर्ड याचिकाकर्ता के पास था, इसलिए वह राशि की गणना कर सकता है और इसे जमा कर सकता है; और यह कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और उसके अनुसरण में पारित किए गए आक्षेपित आदेश कानूनी और संवैधानिक थे और इसी तरह कानून के वे प्रावधान भी हैं जिनकी वैधता और वैधता को याचिका में चुनौती दी गई है।

(4) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाई गई योजना के आवेदन के बारे में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलील से निपटने से पहले, यह वांछनीय होगा कि पहले उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की वैधता के बारे में उन्नत तर्कों का विज्ञापन किया जाए।

(5) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा इस संबंध में पहला तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 1 (3) (ख) के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना केंद्र सरकार की क्षमता और अधिकार क्षेत्र से परे है क्योंकि प्रश्नगत प्रावधानों ने इसे एक समय में, अधिनियम और उसके तहत बनाई गई योजना के दायरे में केवल एक प्रतिष्ठान या ऐसे प्रतिष्ठानों के एक वर्ग को लाने के लिए अधिकृत किया था, और जिस हद तक भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 17 मार्च, 1962 को प्रकाशित आक्षेपित अधिसूचना संख्या जी एस आर 346 ने कई प्रतिष्ठानों और प्रतिष्ठानों के वर्गों को नेट में लाया है, वही उक्त प्राधिकरण में निहित शक्ति से परे है, क्योंकि केवल एक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के एक वर्ग को एक अधिसूचना द्वारा कवर किया जा सकता है और यदि एक से अधिक प्रतिष्ठान या ऐसे प्रतिष्ठानों के वर्गों को शरारत वाले वर्गों के दायरे में लाया गया था, तो कई प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के लिए अधिसूचनाएं जारी की गई थीं।

अधिनियम की धारा 1 (3) (ए) और (बी) निम्नलिखित शर्तों में हैं:

(1) (जे) * * * * * (2) \$ * * * * *

(3) धारा 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, यह लागू होता है-(क) प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान पर जो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा हुआ कारखाना है और जिसमें बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, और (ख) बीस या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले किसी अन्य प्रतिष्ठान या ऐसे प्रतिष्ठानों के वर्ग पर जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलेगा कि केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करके धारा 1 (3) (बी) में परिकल्पित कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या को नियोजित करने वाले अधिनियम प्रतिष्ठान या ऐसे प्रतिष्ठानों के वर्ग के दायरे में लाने की शक्ति दी गई है। जाहिर है, यदि विचाराधीन प्राधिकरण को लगता है कि एक से अधिक प्रतिष्ठानों या ऐसे प्रतिष्ठानों के एक से अधिक वर्गों ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आने के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा किया है, तो यह निश्चित रूप से एक अधिसूचना जारी करके उन्हें कवर कर सकता है-एकवचन शब्द 'स्थापना' या 'वर्ग' के उपयोग के बावजूद-क्योंकि जिस संदर्भ में इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, मेरे विचार में, वे उक्त शब्द की बहुवचन अभिव्यक्ति भी शामिल करते हैं।

(6) विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के प्रावधानों ने केंद्र सरकार को ऐसे प्रतिष्ठानों के किसी भी प्रतिष्ठान या वर्ग को अधिनियम के दायरे में लाने के लिए निर्देशित, मनमाना और व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं और इस प्रकार उक्त प्रावधानों को विधायी शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन से नुकसान हुआ है।

(7) यहाँ फिर से, मेरी राय में, विद्वान वकील ठोस आधार पर नहीं है। उपर्युक्त अधिनियमन के उद्देश्य और कारणों और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 16 और 17 के प्रावधानों में लेखक के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन है जो प्रश्न में अधिसूचना जारी करने के लिए सशक्त है। यह तभी है जब कोई प्रतिष्ठान एक निश्चित संख्या में प्रति-पुत्रों को नियुक्त कर रहा है कि प्राधिकरण उस प्रतिष्ठान या ऐसे प्रतिष्ठानों के एक वर्ग या वर्गों को अधिनियम के दायरे में लाने के बारे में सोचेगा-उसी के पीछे की नीति यह है कि एक संस्था या एक प्रतिष्ठान जो अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्थिति में है, वह अपने कर्मचारियों को उस तरह का लाभ देने की स्थिति में है जैसा कि उपरोक्त अधिनियम और उसके तहत बनाई गई योजना में परिकल्पना की गई है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विधायिका अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) में निहित शक्ति के आह्वान के लिए कोई मार्गदर्शक रेखा या मानदंड निर्धारित करने में विफल रही थी। (देखें मोहम्मदल्ली और अन्य बनाम भारत संघ और दूसरा)।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे आग्रह किया कि ऐसे प्रतिष्ठानों के किसी प्रतिष्ठान या वर्ग के साथ इस मामले में भेदभाव किया जाता है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उसके तहत जारी अधिसूचना को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए, धारा 1 (3) (बी) के तहत जारी अधिसूचना को संसद के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है।

(9) विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क, मेरी राय में, पूरी तरह से गलत है।

अधिनियम की धारा 4 निम्नलिखित शब्दों में है: "4. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर्मचारियों के संबंध में किसी अन्य उद्योग को अनुसूची 1 में जोड़ सकती है, जिसके बारे में यह राय है कि इस अधिनियम के तहत भविष्य निधि योजना तैयार की जानी चाहिए, और फिर इस प्रकार जोड़े गए उद्योग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुसूची 1 में निर्दिष्ट उद्योग माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन सभी अधिसूचनाएँ जारी किए जाने के पश्चात् जितनी जल्दी हो सके संसद के समक्ष रखी जाएंगी।

उपर्युक्त उपबंध के अवलोकन से यह पता चलता है कि चूंकि किस उद्योग को अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई योजना के अंतर्गत लाने की आवश्यकता थी या नहीं थी, इस बारे में मूल रूप से संसद द्वारा निर्णय लिया गया था और ऐसे उद्योग जिन्हें संसद ने उस समय इस प्रकार से शामिल करना उचित समझा था, पूर्व उल्लिखित अनुसूची में शामिल किए गए थे, इसलिए जब उस अनुसूची को उद्योगों की अतिरिक्त इकाइयों को शामिल करके विस्तारित किया जाना था, तो उसे संसद के संज्ञान में लाया जाना था। लेकिन यदि कोई प्रतिष्ठान, जो अनुसूची में शामिल उद्योग की सेवा करने वाला कारखाना है या कोई अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों का वर्ग जो कारखाना नहीं है, लेकिन अनुसूची में शामिल उद्योग या उद्योगों की सेवा कर रहा है, तो विधानमंडल ने यह निर्णय करने के लिए इसे केंद्र सरकार के निर्णय पर छोड़ दिया कि क्या उन्हें अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर किया जाना है या नहीं और उनके कवरेज को विधानमंडल द्वारा इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया था कि इसके बारे में सूचित किया जाए कि यह कब और कब किया गया था।

(10) अधिनियम की धारा 7-क के उपबंध विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधिकृत उल्लंघन के आधार पर आक्रमण के अधीन थे क्योंकि इसने भविष्य निधि आयुक्त, जो विभाग का अधिकारी है, को किसी विशेष प्रतिष्ठान पर अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में निर्णय लेने और निर्धारित करने का अधिकार दिया था और इस प्रकार वह अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है।

(11) ...मुझे डर है कि विद्वान वकील द्वारा दिए गए विवाद में कोई योग्यता नहीं है। भविष्य निधि आयुक्त कानून द्वारा परिकल्पित एक प्राधिकरण है जो निष्पक्ष रूप से यह तय करने के लिए है कि दिए गए तथ्यों पर किसी विशेष प्रतिष्ठान या संस्था को अधिनियम और उसके तहत योजना के दायरे में लाया जाना है या नहीं। वह स्वयं उस मुद्दे का पक्षकार नहीं है जिस पर कानून उसे निर्णय लेने के लिए कहता है। मामला इंटीग्रा का नहीं है। एम. एस. ओबेरॉय बनाम भारत संघ के रूप में एस्टेट अधिकारी, चंडीगढ़ के माध्यम से रिपोर्ट किए गए एक मामले में तुली, न्यायमूर्ति के समक्ष एक समान प्रश्न पूछा गया था, जिसे उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निपटाया:

".....याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया कि एस्टेट अधिकारी अभियोजक और न्यायाधीश दोनों होंगे, जो गुल्लापल्ली नागेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपात से प्रभावित है, यह अविश्वसनीय है और वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के लिए कोई लाभ नहीं है क्योंकि एस्टेट अधिकारी अधिनियम की धारा 4 के तहत कारण बताओ नोटिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही का निपटान करते समय अपने स्वयं के कारण में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए मुझे प्रतीत नहीं होता है। यह कहने का कि कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, इसका अर्थ है कि न्यायाधीश का उस मामले में व्यक्तिगत हित जैसा कुछ नहीं होना चाहिए जिस पर उसे निर्णय लेना है और यह नहीं कि अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करने वाले अधिकारी को उस मामले में कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए जिस पर वह कानून के तहत निर्णय लेने के लिए सक्षम है। तत्काल मामले में याचिकाकर्ता का तर्क स्पष्ट रूप से

गलत है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मेरे सामने मौजूदा तथ्यों पर याचिकाकर्ता के प्रस्तुत करने का समर्थन नहीं करता है”

10

(12) दुआ, न्यायमूर्ति ने भी पहले एम. एल. जोशी बनाम संपदा निदेशक, भारत सरकार, नई दिल्ली में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में और एक अन्य ने भी यही विचार व्यक्त किया था। इस निर्णय से निम्नलिखित टिप्पणियां इस बिंदु पर हैं: "याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया तर्क कि संपदा अधिकारी अभियोजक और न्यायाधीश दोनों होंगे, जो गुल्लापल्ली नागेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपात से प्रभावित है और वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के लिए कोई लाभ नहीं है क्योंकि संपदा अधिकारी अधिनियम की धारा 4 के तहत कारण बताओ नोटिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही का निपटान करते समय मुझे अपने स्वयं के कारण में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए प्रतीत नहीं होता है।

यह कहने का कि कोई भी अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, इसका अर्थ है कि न्यायाधीश का उस कारण में व्यक्तिगत हित जैसा कुछ नहीं होना चाहिए जिस पर उसे निर्णय लेना है और यह नहीं कि अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करने वाले अधिकारी को उस मामले में कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए जिस पर वह कानून के तहत है, जो निर्णय लेने के लिए सक्षम है। तत्काल मामले में याचिकाकर्ता का तर्क स्पष्ट रूप से गलत है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मेरे सामने मौजूदा तथ्यों पर याचिकाकर्ता के निवेदन का समर्थन नहीं करता है।

(13) पहले से ही देखे गए अधिनियम के सुसंगत दंड प्रावधानों की याचिकाकर्ता के विद्वत वकील के हाथों इस आधार पर आलोचना की गई कि यदि कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम और उसके तहत योजना के तहत परिकल्पित भुगतान के प्रभाव के संबंध में किसी प्रतिष्ठान द्वारा किए गए चूक के लिए कानून के तहत उत्तरदायी ठहराया जाता है, राशि जमा करने में असमर्थ है, तो वह अपने जीवन के लिए जेल में नहीं होगा।

(14) कानून एक सख्त दायित्व अधिरोपित करता है जिसे एक प्रतिष्ठान द्वारा पूरा किया जाना है और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह अपनी कीमत पर ऐसा करता है, और दायित्व के ऐसे सख्त नियम के खिलाफ एकमात्र बचाव है जिसकी कल्पना तब भी की जा सकती है जब स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो, वह एक ऐसा कार्य है जिसे कानूनी भाषा में ईश्वर का कार्य समझा जाता है। विधायिका की ऐसी नीति होने के कारण, न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान को कठोर या असहनीय होने के आधार पर निरस्त नहीं कर सकते हैं।

(15) जहां तक अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के उपबंधों पर हमले का संबंध है, जिसमें अपनी वित्तीय स्थिति या अन्य परिक्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठानों के किसी वर्ग को उसके संचालन से छूट देने की परिकल्पना की गई है, इस आधार पर कि वह किसी उद्योग या प्रतिष्ठानों के वर्ग से किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान के विरुद्ध भेदभाव करता है, और जिसे विद्वान अधिवक्ता ने व्यवहार्यता के मानदंडों से अतिरिक्त रूप से सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, जबकि किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान की वित्तीय सुदृढ़ता को प्रतिष्ठानों के वर्ग की तुलना में देखना आसान है, फिर भी प्रावधान में प्रतिष्ठानों

के एक वर्ग को छूट देने की परिकल्पना की गई है, न कि किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान को उसकी वित्तीय स्थिति और अन्य परिस्थितियों के आधार पर, इसका उत्तर आनंद बेहरा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें उन्होंने निर्णय दिया है कि न्यायालय को इसकी व्याख्या करने के लिए क्या कहना चाहिए, जैसा कि उसे लगता है। ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य आदि में उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपत्यों ने भी वही विचार व्यक्त किए थे, जो निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट होंगे:

"यह बिल्कुल स्पष्ट है कि न्यायालय किसी कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है और केवल अन्यायपूर्ण और दमनकारी प्रावधानों के आधार पर या क्योंकि यह नागरिकों के प्राकृतिक, सामाजिक या राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला माना जाता है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता है कि इस तरह का अन्याय निषिद्ध है या ऐसे अधिकारों की संविधान द्वारा गारंटी या संरक्षण दिया गया है।

इसलिए केन्द्रीय प्रांत और मोटर स्पिरिट और स्नेहक की बेरार बिक्री कराना अधिनियम, 1938 के मामले में रिपोर्ट किए गए एक मामले में संघीय न्यायालय ने फैसला सुनाया था। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं: -

"यह कानून की भाषा से ही संसद के अर्थ और इरादे का पता लगाने का प्रयास करेगा; लेकिन संसद के उद्देश्यों से इसका कोई लेना-देना नहीं है। यह न्यायालय के लिए किसी विशेष विधान की समीचीनता पर कोई राय व्यक्त करने या वास्तव में विचार करने के लिए नहीं है, यदि यह संतुष्ट है कि यह उस विधानमंडल की क्षमता के भीतर था जिसने इसे अधिनियमित किया था; और न ही, यह खुद को नीति के किसी भी विचार से प्रभावित होने की अनुमति देगा, जो पूरी तरह से इसके दायरे से बाहर हैं।

(16) अब याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक दोहरे तर्कों पर आते हैं: (1) कि याचिकाकर्ता की चिंताएं अलग-अलग प्रतिष्ठान हैं और उन्हें एक प्रतिष्ठान की शाखाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार तीन अलग-अलग प्रतिष्ठानों की संयुक्त संख्या को अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में संतोषजनक रूप से ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, और

(2) कि दो कर्मचारी, दास माई और यश पाल, केवल एक आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियोजित आकस्मिक कर्मचारी थे और याचिकाकर्ता फर्म के व्यवसाय के नियमित पाठ्यक्रम में नियोजित नहीं थे, यह देखा जाना चाहिए कि पहली बार में इसमें तथ्य के प्रश्न का निर्धारण और उस संबंध में भविष्य निधि आयुक्त के निष्कर्ष शामिल हैं।

(17) तथापि, श्री एस. के. अग्रवाल ने महिपाल सिंह शंकरा सिंह पवार और एक अन्य बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मैसूर, बैंगलोर (पहले विवाद को ध्यान में रखते हुए) के बल पर और भविष्य निधि निरीक्षक बनाम टी. एस. हरिहरन (दूसरे

विवाद से संबंधित) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आग्रह किया कि विद्वत भविष्य निधि आयुक्त ने, उनके समक्ष उल्लिखित दोनों निर्णयों के बावजूद, उन पर ध्यान नहीं दिया और दोनों निर्णयों में दर्शित दृष्टिकोण से शामिल प्रश्न की सराहना से संपर्क नहीं किया।

12

(18) इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिका के साथ संलग्नक 'ख' के रूप में संलग्न अभ्यावेदन में, भविष्य निधि आयुक्त, प्रत्यर्थी नं. 1, इस न्यायालय द्वारा मामला उनके पास भेजे जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने यह रुख अपनाया था कि याचिकाकर्ता की संस्था एक साझेदारी फर्म थी और दो प्रतिष्ठान, एक कानपुर में और दूसरा जालंधर छावनी में, याचिकाकर्ता फर्म के भागीदारों में से एक के नेतृत्व में अलग-अलग प्रतिष्ठान थे क्योंकि ये याचिकाकर्ता की शाखाएँ नहीं थीं। उक्त अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया था कि जुलाई और अगस्त के महीने में नियोजित दो कर्मचारी सामान स्थानांतरित करने में लगे आकस्मिक मजदूर थे और इस प्रकार उन्हें यह देखने के लिए नहीं गिना जा सकता था कि क्या याचिकाकर्ता ने अधिनियम और उसके तहत बनाई गई योजना के प्रासंगिक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अपने नियमित व्यवसाय में इतनी आवश्यक संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त किया था।

(19) भविष्य निधि आयुक्त के आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक 'घ' के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने कानपुर और जालंधर छावनी में अपने प्रतिष्ठानों के साथ याचिकाकर्ता के प्रतिष्ठान को एक इकाई के रूप में माना: उन्हें मुख्य चिंता की शाखाओं के रूप में माना, लेकिन इसने इस सवाल के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया कि क्या प्रतिनिधित्व में उल्लिखित दोनों कर्मचारी आकस्मिक मजदूरों के रूप में कार्यरत थे या नहीं।

(20) जहां तक इस का सवाल है कि क्या विचाराधीन तीन प्रतिष्ठान एक चिंता का विषय हैं, यह तथ्य का सवाल है और भविष्य निधि आयुक्त द्वारा तय किया गया है। यह निष्कर्ष तभी विचलित हो सकता है जब यह दिखाया जाए कि यह बिना किसी सबूत के है। जैसा कि भविष्य निधि आयुक्त की ओर से दायर लिखित बयान में उल्लेख किया गया है, उनके पास उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। याचिकाकर्ता के संबंधित भागीदारों में से एक द्वारा दिए गए बयानों द्वारा अपेक्षित सामग्री प्रस्तुत की जाती है जो अनुलग्नक आर 3 और आर 4 हैं। उन दो दस्तावेजों में निहित बयान याचिकाकर्ता की स्वीकारोक्ति के अनुरूप हैं। संबंधित वर्ष से संबंधित उन बयानों में, यह स्वीकार किया गया था कि कानपुर और जालंधर प्रतिष्ठान जालंधर शहर के फेंटन गंज में स्थित मुख्य संस्था की शाखाएँ थीं। इस तथ्य की पुष्टि याचिकाकर्ता फर्म के मुद्रित लेटर-पैड, अनुलग्नक आर-1 में उल्लिखित पते से हुई। उपरोक्त तथ्यों के अलावा, लिखित बयान में दिए गए दावे से यह स्पष्ट है कि तीनों प्रतिष्ठानों ने संयुक्त रिटर्न दाखिल किया था और जालंधर में मूल्यांकन किया गया था और मुख्य कार्यालय ने तीनों फर्मों के लाभ-हानि खाते को संयुक्त रूप से बनाए रखा था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि भविष्य निधि आयुक्त ने याचिकाकर्ता फर्म के तीन प्रतिष्ठानों को एक के रूप में, अन्य मुख्य प्रतिष्ठान की शाखाओं के रूप में व्यवहार करने में सही था।

(21) जहां तक दूसरे तर्क का संबंध है कि दास मल और यश पाल आकस्मिक

मजदूरों के रूप में कार्यरत थे, प्रत्यर्थी की ओर से लिया गया रुख यह है कि याचिकाकर्ता फर्म ने अनुलग्नक आर-3 में स्वयं प्रश्नगत वर्ष के संबंध में कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख किया था। उसमें, यह उल्लेख नहीं किया गया था कि इंगित संख्या में से कोई भी श्रमिक एक आकस्मिक श्रमिक या मजदूर था। हालांकि यह सच है कि उच्च न्यायालय द्वारा मामले को भविष्य निधि आयुक्त को पुनर्विचार के लिए भेजे जाने के बाद पहली बार यह याचिका दायर की गई थी कि दास मल और यश पाल आकस्मिक मजदूर थे, फिर भी इस पर गौर करने की आवश्यकता थी और एक निश्चित निष्कर्ष की उम्मीद थी।

(22) याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णय में सम्मानित न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया है कि नियोक्ता के नियंत्रण से परे गुजरती आवश्यकता या अप्रत्याशित आपात स्थिति को पूरा करने के लिए नियोजित श्रमिकों को चिंता का नियमित व्यवसाय करने के लिए कंपनी द्वारा लगाए गए कर्मचारियों की संख्या पर विचार करते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन नियोक्ता पर इस तथ्य को स्थापित करने का कर्तव्य डाला गया है कि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति ऐसी अप्रत्याशित आपात स्थिति या गुजरने की आवश्यकता के कारण आवश्यक थी और वे व्यवसाय के नियमित पाठ्यक्रम में कार्यरत नहीं थे। भविष्य निधि आयुक्त या इस न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी। एक गंजा दावा कि एक कर्मचारी को माल की ढुलाई के लिए एक आकस्मिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था, चाल चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि भविष्य निधि आयुक्त, याचिकाकर्ता के लिए उचित रूप से भविष्य निधि अधिनियम और उसके तहत बनाई गई योजना के प्रासंगिक प्रावधानों से संबंधित है। इसलिए, रिट याचिका को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

बी एस जी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा**